



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239312
CG-DL-E-03102022-239312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4429]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 4429]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

का.आ. 4637(अ).—यतः, मै. फॉक्सकॉन इंडिया डवेलपर्स प्रा. लि. (अब मै. एफआईएच इंडिया डवेलपर प्रा. लि. के रूप में जाना जाता है) ने तमिलनाडु राज्य में संतवेलोर-बी, चित्तूर गाँव, श्रीपेरुम्बुदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 2101(अ) दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. फॉक्सकॉन इंडिया डवेलपर्स प्रा. लि. (अब मै. एफआईएच इंडिया डवेलपर प्रा. लि. के रूप में जाना जाता है) ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.39 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 11284/एमआईई.1/2021-1 दिनांक 06.12.2021 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ती प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेपज़ विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.39 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किये गए कार्यों या किये जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/714/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2022

S.O. 4637(E).—WHEREAS, M/s. Foxconn India Developer Pvt. Ltd. (now known as M/s. FIH India Developer Pvt. Ltd.), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Electronic Hardware at Santhavelore-B, Chittur Village, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 10.39 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2101(E) dated 05th December, 2007;

AND, WHEREAS, M/s Foxconn India Developer Pvt. Ltd. (now known as M/s. FIH India Developer Pvt. Ltd.) has now proposed to de-notify the entire area of 10.39 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Government of Tamil Nadu has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 11284/MIE.1/2021-1 dated 06.12.2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.39 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/714/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.